



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सीसीएए के लिए नोटिस

रेल मंत्रालय ने आदेश संख्या ERB-I/2022/23/06 दिनांक 09.02.2022 के द्वारा रेलवे में कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (CCAA) के मामलों को दिनांक 26.01.2022 को गठित समिति के "संदर्भित शर्तों" में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। अप्रेंटिसिसेस एक्ट की धारा 22 के परिप्रेक्ष्य में लिया गया निर्णय निम्नवत् है :

- रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित CCAA को लेवल -1 भर्ती के लिए सीबीटी आयोजित करने के बाद अंतिम मेधा सूची तैयार करने में उनके द्वारा किए गए प्रशिक्षण के लिए विशेष महत्व दिया जाएगा।
- रेलवे प्रतिष्ठानों में प्रशिक्षित CCAA को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी।

दिनांक : 11 / 03 / 2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड